भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3217

दिनांक 22 मार्च, 2022 के लिए प्रश्न

पशु चिकित्सकों की आवश्यकता

3217. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री जी. सेल्वम:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा परिचारकों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार पंजीकृत पशु चिकित्सकों की संख्या सहित देश में कार्यरत मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पशु कल्याण के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय आवश्यक है यदि हां, तो निजी क्षेत्र के पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में सुधार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या का आकलन किया है;

(च) क्या सरकार द्वारा मौजूदा पशु चिकित्सा संस्थाओं को उन्नत करने और मौजूदा पशु चिकित्सालयों में स्वास्थ्यचर्या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और पशु चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या को पूरा करने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन राज्य का विषय है तथा पशुओं को उपचार की उपलब्धता हेतु पशु चिकित्सा श्रमशक्ति की तैनाती संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। विभाग, राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ रणनीतिक नीति इनपुट उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को संपूरित करता है। इसके

अलावा विभाग भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (वीसीआई) के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है जिसे भारतीय पशु चिकित्सा व्यावसायी रजिस्टर (आईवीपीआर) तैयार करने हेतु बनाया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त 'पशु चिकित्सा योग्यता' (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री) धारित करने वाले व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होते हैं। हालांकि विभाग राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत पशु चिकित्सा डाक्टरों और पैरा-पशु चिकित्सा तथा उनके रिक्त स्थानों की कोई राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तैयार नहीं करता है।

(ख) से (ङ) आईवीपीआर के अनुसार, दिनांक 31/03/2020 के स्थिति के अनुरूप 73129 पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यावसायी उपलब्ध हैं। इनकी राज्य-वार सूची **अनुबंध I** में दी गयी है। पशुचिकित्सा महाविद्यालय बीवीएस और एएच पाठ्यक्रम के माध्यम से पशुचिकित्सा विज्ञान के आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रदान कर रहे हैं जोकि पशुकल्याण हेतु अत्यावश्यक है। वर्तमान में भारत में 54 मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं जिनमें से 5 (पांच) निजी क्षेत्र के है। ऐसे पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की सूची **अनुबंध II** में दी गयी है।

पशु चिकित्सा शिक्षा सहित पशुपालन राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता मूल्यांकन के बाद पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है। वीसीआई ने निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को विनियमित करने के लिए पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम (एमएसवीई) 2016 जारी किये। इसके अलावा, सरकार ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत नये पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए और पशुचिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए वीसीआई (पशुचिकित्सा महाविद्यालयों और पशुचिकित्सा अर्हता को मान्यता देने और मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया) नियम 2017 (वर्ष 2019 में संशोधित) को तैयार किया है।

(च) सरकार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के (एमएच और डीसी) तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पशु स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके प्रयासों को संपूरित कर रही है। किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से मोबाइल पशुचिकित्सा इकाईयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान कर रही है। हालांकि राज्यों के साथ आवर्ती परिचालन व्यय के साझे का अनुपात उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 में, अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% है। सरकार ने पहले ही 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 4332 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों की खरीद और अनुकूलन के लिए 681.57 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है।

इसके अलावा, विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत मौजूदा पशु पशुचिकित्सा संस्थानों की स्थापना और नवीनीकरण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों का भी समर्थन करता है।

****

अनुबंध-I

भारतीय पशुचिकित्सा व्यावसायी रजिस्टर (2020) के अनुसार पंजीकृत पशुचिकित्सा व्यावसायी की राज्य-वार संख्या का विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिनांक 31/03/2020 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत पशु-चिकित्सा व्यावसायी
अंडमान और निकोबार	59
आंध्र प्रदेश	4875
अरुणाचल प्रदेश	189
असम	2965
बिहार	3395
छत्तीसगढ	994
चंडीगढ़	13
दादरा और नगर हवेली	04
दमन और दीव	01
दिल्ली	466
गोवा	201
गुजरात	3521
हरियाणा	1997
हिमाचल प्रदेश	1247
झारखंड	895
कर्नाटक	4267
केरल	4405
लक्षद्वीप	031
मध्य प्रदेश	2428
महाराष्ट्र	9971
मणिपुर	514
मेघालय	393
मिजोरम	320
नागालैंड	306
ओडिशा	2582
पुदुचेरी	495
पंजाब	3928
राजस्थान	4024
सिक्किम	167
तमिलनाडु	5622
त्रिपुरा	388
उत्तर प्रदेश	6562
उत्तराखंड	1015
पश्चिम बंगाल	2488
तेलंगाना	1656
जम्मू और कश्मीर	692
लद्दाख	053
	73129

अनुबंध-।।

मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की सूची (निजी क्षेत्र सहित) उनके संबद्ध विश्वविद्यालयों के साथ दी गयी है।

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	1. एनटीआर पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, गन्नावरम
				2. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, प्रोददतुर
				3. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, तिरुपति
2.	असम	2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	4. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, गुवाहाटी
3.	बिहार	3.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	5- बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज, पटना
4.	छत्तीसगढ़	4.	दाऊ श्री बासुदेव चंद्राकार कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग	6. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, दुर्ग
5.	गुजरात	5.	कामधेनु विश्वविद्यालय गांधीनगर, गुजरात	7. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, आणंद
6.	हरियाणा	6.	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	11. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, हिसार
				12. अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रोहतक (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
7.	हिमाचल प्रदेश	7.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	13. डॉ. जी.सी. नेगी . पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज,, पालमपुर
8.	जम्मू और कश्मीर	8.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	14-पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय, जम्मू
		9.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	15-पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय, श्रीनगर, कश्मीर
9.	झारखंड	10.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	16. रांची पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, रांची
10.	कर्नाटक	11.	कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	17. पशु चिकित्सा कॉलेज हेब्बल, बैंगलोर
				18. पशु चिकित्सा कॉलेज, नंदीनगर, बीदर
				19. पशु चिकित्सा कॉलेज, हासन
				20- पशु चिकित्सा कॉलेज, शिमोगा
11.	केरल	12.	केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पूकोटे	21. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कॉलेज, त्रिशूर
				22. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, पुकोटे
12.	मध्य प्रदेश	13.	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	23. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कॉलेज, जबलपुर
				24. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कॉलेज, महू

				25- पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कॉलेज, रीवा
13.	महाराष्ट्र	14.	महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	26. मुंबई पशु चिकित्सा कॉलेज, मुंबई
				27. नागपुर पशु चिकित्सा कॉलेज, नागपुर
				28. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, परभणी
				29. के.एन.पी. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, सतारा
				30- पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, उदगीर
14.	मिजोरम	15.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल	31. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कॉलेज, आइजॉल, मिजोरम
15.	ओडिशा	16.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	32. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन कॉलेज, भुवनेश्वर
16.	पुडुचेरी	17.	पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	33. राजीव गांधी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कॉलेज, पुडुचेरी
17.	पंजाब	18.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	34-खालसा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कॉलेज, अमृतसर (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
				35. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, लुधियाना
18.	राजस्थान	19.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	36. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, बीकनेर
				37. महात्मा ज्योतिबा फुले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, चोमू, जयपुर (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
				38. अपोलो पशु चिकित्सा औषधि कॉलेज, जयपुर (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है)
				39-पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जयपुर
				40-पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, नवनिया, उदयपुर
				41. अरावली पशु चिकित्सा कॉलेज, सीकर (कॉलेज निजी क्षेत्र के अधीन है।
19.	तमिलनाडु	20.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	42. मद्रास पशु चिकित्सा कॉलेज, चेन्नई
				43. पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नमक्कल
				44. पशु चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, ओरथानाडु
				45- पशु चिकित्सा कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुनेलवेली
20.	तेलंगाना	21.	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	46. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, हैदराबाद

				47. पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज, कोरुतला
21.	त्रिपुरा	22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	48. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, आर.के. नगर, अगरतला, त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश	23.	आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	49- पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, फैजाबाद
		24.	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा	50. पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज, मथुरा
		25.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज़्ज़तनगर, बरेली	51. आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान
		26.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	52- पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज, मेरठ
23.	उत्तराखंड	27.	गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	53. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान कॉलेज, पंतनगर
24.	पश्चिम बंगाल	28.	पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	54. पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान संकाय, कोलकाता